राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

आवश्यक सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 07/2018 {PR. No. 7499 (Ni Ni) 2018-19} के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (UPHCs) के लिए Medical Officer-Full Time एवं Medical Officer-Part Time के पदों पर चयन/नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसकी अन्तिम तिथि 17.09.2018 निर्धारित की गयी। उक्त पदों के विरूद्ध निर्धारित तिथि तक प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का Counselling (प्रमाण-पत्र सत्यापन) किया जाना है।

2. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling (प्रमाण-पत्र सत्यापन) के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना में पदवार निम्नलिखित तिथि को **10:00 AM - 03:00 PM** निर्धारित किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है:-

दिनांक	Medical Officer-Full Time	Medical Officer-Part Time
03-10-2018	Roll Number **18071001-18071138**	Roll Number **18072001-18072065**
04-10-2018	Roll Number **18071139-18071276**	Roll Number **18072066-18072130**
05-10-2018	Roll Number **18071277-18071414**	Roll Number **18072131-18072195**
06-10-2018	Roll Number **18071415-18071551**	Roll Number **18072196-18072261**

3. अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को Counselling में उपस्थित नही हो पाते है तो वे **दिनांक 08-09 अक्टूबर, 2018 को 10:00 AM-02:00 PM तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा पटना-14 में** Counselling हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

4. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त Counselling में दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र (जन्मतिथि हेतु), MBBS का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र (सेमेस्टरवार/सत्रवार), MCI/State Medical Registration Council का प्रमाण-पत्र (यदि हो तो) साथ में लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी यदि आरक्षण कोटि का दावा करते हैं तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग के लिए निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित प्रमाण-पत्र Counselling के समय उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा और इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

5. उक्त तिथि को Counselling में उपस्थित नही होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी एवं उपस्थित नही होने के फलस्वरूप उन्हें मेधासूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट- www.statehealthsocietybihar.org पर Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नही होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी। प्रमाण-पत्र सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नही होगा।

28/9/18

कार्यपालक निदेशक